

(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड 4 में प्रकाशित)  
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 227

नई दिल्ली

30 नवंबर 2007

अनुशेष

(नवंबर 2007 के ----- वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) के दरमान के सामान्य संशोधन से संबन्धित प्रकरण सं.टीएएमपी/67/2005-केपीटी में दिनांक 15 मई 2007 को एक आदेश पारित किया था। यह आदेश और संशोधित दरमान, राजपत्र सं. 126 के द्वारा, दिनांक 12 जून 2007 को भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग III खंड 4) में अधिसूचित किया गया था।

2. यह ध्यान में आया है कि राजपत्र के 75 वे पन्ने में दिखनेवाली पहली पंक्ति में "केपीटी के जवाब" स्तंभ के अंतर्गत दिखाए गए कुछ विवरण का मुद्रण नहीं हुआ है, तदनुसार वह तालिका इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए।

(रूपये लाखों में)

	2002-03		2003-04	
	लक्षित	प्राप्त	लक्षित	प्राप्त
यातायात (मि.मी.ट. में)	36.98	40.63	40.00	41.52
प्रचालन आय	198.92	211.97	223.03	210.91
प्रचालन व्यय	96.80	104.65	104.43	124.48
विविध और प्रशासन उपरिव्यय	33.40	37.55	35.74	41.08
वित्त और विविध आय	3.39	5.07	3.39	21.24
वित्त और विविध व्यय	10.42	39.73	11.20	25.32
अधिशेष	61.69	35.11	75.05	41.27

(ब्रह्म दत्त)

अध्यक्ष